

A-50013/176/2019- प्रशा.

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 07 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश सं. 15/2021

इस विभाग के दिनांक 04 जनवरी 2021 के कार्यालय आदेश सं. 03/2021 [मिसिल सं. A-50013/176/2019-प्रशा.] के अनुसरण में श्री एम० सी० भारद्वाज ने दिनांक 04 जनवरी, 2021 (पूर्वाहन) से सलहकार (कंसल्टेंट) के रूप में इस विभाग के हिंदी अनुभाग में एक वर्ष के लिए रु. 49,900/- प्रति माह के अपरिवर्तनीय मानदेय पर इस विभाग द्वारा उक्त 04 जनवरी 2021 के कार्यालय आदेश में वर्णित स्वीकृत शर्तों के साथ अपनी सेवाएँ प्रारंभ कर दी हैं।

2. यह व्यय वर्ष 2020-21 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की डिमांड सं. 61 के तहत 3451.00.090.16.01.28-प्रोफेशनल सर्विसेज (नॉन-प्लान) हेड के तहत देय होगा।

अशोक कौशिक

(अशोक कुमार कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23738126

प्रति लिपि :

1. रोकड़ अनुभाग (2 प्रतियाँ), जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
2. वेतन और लेखा अधिकारी, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
3. श्री एम० सी० भारद्वाज कंसल्टेंट, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
4. सामान्य प्रशासन/ सतर्कता अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
5. हिंदी अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
6. विभाग का इन्टरनेट